(1500/PC/GM)

सस्टिनेंस तो कम से कम की बात है। कुरान तो स्टेटस के मुताबिक देने की बात करती है। इसके बीच में औरतों को लेकर जो विचार बना है, मैं खुलकर यह कहना चाहती हूं, कुछ समाज के लिए, खास तौर पर वे लोग जो इस पर राजनीति कर रहे हैं।

औरतों के लिए तुम्हारा चलन निराला क्यों है?
जो कहते हो कि धर्म साफ है, तो ये नियम काला क्यों है?
शिकायत मस्ज़िदों से नहीं, पर फतवों से है मुझे,
तुमने औरतों के लिए, औरतों को अपने धर्म से निकाला क्यों है?

जहां तक शरीयत की बात है, तो इस देश के अंदर जो कंपैरिज़न किया जा रहा है, कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यह होता है, पारसी मैरिज एक्ट के तहत यह होता है, शरियत एक्ट के अंदर यह होता है, तो Application of Shariat Act, 1937 जब इस देश में आया, उस ज़माने में भी कई लोगों का कहना था कि कस्टमरी लॉ को आप बेस मत बनाइए। हिंदू मैरिज एक्ट, 1955, 1957 वाला जो क्वोट किया जा रहा है, तो मैं इस सदन के सामने बताना चाहती हूं कि उससे पहले हिंदुओं के बीच में तलाक होता ही नहीं था। There was nothing called divorce. The Christian Marriage Act 1872 was the oldest Act which recognised divorce later. There were three difference Acts.

हमने तीन पर्सनल लॉज़ को मान्यता दी है। इसलिए, एक का दूसरे से कंपैरिज़न नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही जो सामाजिक असलियत है, वह कुछ और है। यह तब ही मुमकिन है, जब हम सब लोग बैठकर तय कर लें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड

लेकर आएंगे, तब आप इसे लागू कीजिए। जहां तक तलाक का विषय है, तो मैं यह भी बताना चाहती हूं कि हनफ़ी व्यवस्था, ज्युरिस्प्रडेंस के को मानने वाले 70 प्रतिशत लोग भारत में हैं। हनफ़ी है, सफ़ी है, मलिकी है और हम्बिली है। इन चारों व्यवस्थाओं में से 70 प्रतिशत भारत के लोग हनफ़ी व्यवस्था को मानते हैं। इसके तहत तलाक-ए-बिद्वत को एक मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो सलाफी व्यवस्था है, जिसे प्यूरिटैनिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम कहा जाता है, उसमें इस व्यवस्था की मान्यता ही नहीं है। इस पृथ्वी पर इतने बड़े-बड़े जो इस्लामिक राज्य हैं, जहां इस्लाम ही उनका स्टेट रिलिजन है, वहां भी इस व्यवस्था की कोई रेग्युलेशन नहीं है। वे इसकी मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन मुझे हैरानी है कि भारत जैसे सेक्युलर देश के अंदर इसकी मान्यता है और जो पार्टीज़ अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, वही धर्म का दुष्प्रयोग करती हैं।

इसको जायज़ ठहराने का जो कुकृत्य है, वह सामने आता है। किसी ने पीछे से हलाला शब्द का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि यह पैगम्बर का जो दिया हुआ कथन है, उसका ही निराकरण किया जा रहा है। इससे बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि कुरान की जो आयत है, जो मैंने आपको पढ़कर बताई, उससे यह बिलकुल स्पष्ट है कि 1400 साल पूर्व अरब समाज के अंदर कुछ कुरीतियां थीं। कस्टमरी लॉ को ऑब्ज़र्व करते-करते वे कुरीतियां इस्लाम को मानने वालों के बीच भी आ गईं। उनको कंटीन्यू करना, मेरे ख्याल से इससे बड़ा पाप नहीं होगा, क्योंकि उस व्यवस्था के खिलाफ तो कुरान खुद है। इस देश के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति उस व्यवस्था के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आगे जाकर न्याय की गुहार लगाएगा या इस पार्लियामेंट से तय करवाएगा कि आप

एक कानून लेकर आइए, तो मुझे लगता है कि यह हमारी कर्तव्यबद्धता है कि हम उस पर कानून लेकर आएं और Codified form of law लेकर आएं।

अलग-अलग इस्लामिक पंथ के अलग-अलग कानून हुआ करते थे, जैसा कि मैंने पहले कहा है। लेकिन इस सामूहिक अत्याचार में आप यह सोचिए कि एक निकाह होता है, कबूलनामे के तहत होता है, समाज के व्यक्ति उस में मौजूद होते हैं। वह स्पष्ट कबूलनामा होता है। ऐसे में एक एस.एम.एस., एक वॉट्सएप, एक ई-मेल, एक फोन कॉल - शादी खत्म? यह कहां की व्यवस्था है? आपको इसका कहां से अधिकार मिलता है? यह कुरान की बात के खिलाफ है। कभी संगीन, मतलब बहुत सीरियस :

कभी संगीन कभी मज़ाक बन जाएगा,
मिट्टी का शरीर खाक बन जाएगा,
ज़रा एहतियात बरत रकीब मेरे,
न जाने कौन सा टेलीफोन तलाक बन जाएगा।

(1505/SPS/RSG)

एक माननीय सदस्य : *… (Not recorded)* तो करो। …(व्यवधान)।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): *… (Not recorded)* तो आप कीजिए, *… (Not recorded)* तो आप जैसे लोगों को आनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : आपने ऐसा बोला क्यों? मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूं, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल न कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मीनाक्षी लेखी जी, आप ऐसी बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष जी, 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-बिद्दत को गैर-इस्लामिक करार दिया है। जब 22 अगस्त को जजेज़ का फैसला आया तो उनके सामने तमाम सवाल थे। उनके सामने एक सवाल था कि क्या राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी और साथ में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैं, क्या ये आपस में कंफ्लिक्टिंग राइट्स हैं। कोर्ट ने तय किया कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। उसके तहत हम इस प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं। यह जजमेंट 3:2 के रेशियो में आया, तीन जजों ने इसको गैर-इस्लामिक प्रथा बताया और दो लोगों ने कहा कि यह फ्रीडम के बीच में आ रहा है, इसलिए देश की संसद इस पर कानून बनाए। छ: महीने के लिए इस प्रथा को स्थगित किया जाता है। स्थगन के बीच में इसके लिए कानून आ जाए। उसी के चलते पहले कानून लाने की कोशिश हुई, लेकिन जो रवैया आप देख रहे हैं, बार-बार गुमराह करने वाला रवैया, वही गुमराह करने वाला रवैया पहले चलता रहा, उसके कारण ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। ऑर्डिनेंस के बाद दोबारा इस लॉ को लाया गया और यह सोचकर जितनी आपत्ति व्यक्त की है, अगर हम उसका निराकरण इसी एक्ट में डाल देते, जबकि वह सब ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और है, लेकिन बावजूद इसके हम इसी एक्ट के अंदर वे सारे प्रावधान कर देते हैं तो इनकी आपत्तियों का निराकरण होगा। लेकिन स्पष्ट है कि जिस तरीके की रीति इस सदन में चल रही है, इसका केवल और केवल राजनीति करना उद्देश्य है, न कि ऐसी समस्या का हल ढूंढना। अगर इस समस्या का हल ढूंढना होता तो आर्टिकल 142 के तहत वह कानून तो बन ही चुका था, लेकिन इसी बीच जनवरी 2017 से 13 सितम्बर 2018 तक 430 तलाक के मामले सामने आए। उनमें

से 229 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले के हैं और 201 मामले निर्णय के बाद के हैं। आश्चर्यजनक बात है कि ट्रिपल तलाक के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश से आए। उनके अंदर 126 मामले कोर्ट के फैसले के पहले के हैं और 120 मामले फैसले के बाद के हैं। उत्तर प्रदेश में 40 शरिया अदालतें चल रही हैं। जब 40 शरिया अदालतें चल रही हैं और वहां पर एक प्रभावी एन.जी.ओ., वह एन.जी.ओ. है, कोई बोर्ड नहीं है, जिसको ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम दिया गया और वह वर्ष 1986 के बाद ही निश्चित हुई, क्योंकि कांग्रेस को उस समय इसका राजनैतिक इस्तेमाल करना था। एक वैल्फ के तरीके से इस्तेमाल करने वाला इन्हीं का एक ग्रुप था, जिसको खड़ा किया गया। उसके लिए मैं यह कहना चाहूंगी कि 70 साल तक इस देश के अंदर यह कुप्रथा चलती रही। ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसा मैंने पहले कहा कि हनफी व्यवस्था के तहत यहां पर लोग उसकी मान्यता ज्यादा रखते हैं। जाहिर है कि सुन्नी और हनफी उसमें से मानने वाले ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेम्बर हैं। एक बहुत पुराना गाना है कि -

"मझधार में नैय्या डूबे तो मांझी पार लगाए,
मांझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए।"

जहां ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम था, महिलाओं के हुकूकों की लड़ाई लड़ना, लेकिन साबित हो गया है कि हुकूकों की लड़ाई लड़ना तो दूर की बात है, उसको डुबोने के लिए ये बैठे हुए हैं। चूंकि ये बैठे हुए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को काबिज़ करने के लिए और उसको मान्यता देने के लिए यह कानून लाना आवश्यक था। इसी के तहत गतिरोध के बावजूद, प्रतिरोध के बावजूद इस कानून को

हम लोग लेकर आए हैं। इसमें सीधे गिरफ्तारी का जो उसूल है, वह उसूल इसलिए है, आप देखिए कि स्कीम ऑफ थिंग्स क्या है? ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है, लेकिन मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार है। जमानत देने का अधिकार तभी संभव होगा, जब कम्प्लेनेंट जो कि महिला है, उसका ब्लड रिलेटिव है या शादी के द्वारा जो उसका रिश्तेदार है, उनमें से कोई ये शिकायत दर्ज कर सकता है। कम्प्लेनेंट की जो डेफीनेशन है, वह डिफाइन की गयी और जब कम्प्लेनेंट जब कम्प्लेंट दे, उसके बाद महिला की सुनवाई हो, उसके बाद तथ्यों को देखकर तय किया जाए कि बेल मिलनी है या नहीं।

(1510/SJN/RK)

साथ ही इसको कंपाउंडेबल बनाया गया। कम्पाउंडेबल का अर्थ सिर्फ इतना है कि उस मामले को रफा-दफा मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ही किया जा सकता है। नहीं तो नान कम्पाउंडेबल अफेन्सेस भी 482 के तहत हाई कोर्ट के अंदर क्वाशिंग पिटिशन डलती है। वह क्वाशिंग पिटिशन तक का जो रास्ता है, वह तय न करना पड़े, बल्कि सुलहनामा हो जाए, तो वहीं के वहीं ऐसे मामलों को समाप्त किया जाए और उसको गुजारा भत्ता दिया जाए। इस कानून की जो नीयत है, वह बिल्कुल साफ है, प्यूनिटिव है, लेकिन साथ ही साथ रेस्टोरेटिव भी है और रेस्टोरेटिव के साथ रेस्टोरेशन भी है और रिफार्मेटिव भी है। अगर गलती की है, तो गलती में सुधार की एक गुंजाइश है और उस सुधार की गुंजाइश के बाद इस पर पूरी तरह से काम किया जाए। तमाम प्रयास हो जाएं, उन प्रयासों के बाद कुछ रजामंदी हो जाए, उन दोनों को मौका मिल जाए, बार-बार साथ रहने का, बच्चों की देखभाल करने का। सताई हुई औरतों के सामने एक रास्ता

निकल कर आए। मैं यही कहना चाहती हूं कि जब राईट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात आती है, तब यह एक अधिकार के रूप में सामने आता है कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर कुछ सुलह कर सकें और उस सुलह के बाद आपस में मेल-जोल बढ़ा सकें और इस तरीके की चीजें खत्म की जा सकें। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की नीयत से ये अपीज़मेंट पालिटिक्स इस देश में चलती आई है। मैंने उदाहरण दिया है ऐसे इस्लामिक देशों का जहां पर ये गैर-कानूनी है। सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की नीयत से मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स आन डिवोर्स) एक्ट प्रोटेक्शन लिखा गया था। लेकिन मिस्नोमर था, क्योंकि जो 125 का अधिकार, जो क्रिमिनल ला का अधिकार उन महिलाओं के पास था, उसको छीना गया था। ये असलियत है और असलियत यह है कि यह सब कुछ एक देश के पास ऐतिहासिक रूप से फैसला करने का मौका था। कांग्रेस के पास आरिफ मोहम्मद खान जैसे मुसलमान नेता का भी नेतृत्व था। वे चाहते थे, तो देश का इतिहास आज से तीस साल पहले बदल सकते थे, मगर जिनको राजनीति तोड-मरोड़ कर डिवाइसिव पालिटिक्स करनी है, वे कभी देश का इतिहास नहीं बदलेंगे। वे केवल अपीज़मेंट पालिटिक्स करेंगे, क्योंकि वे चाहते ही नहीं हैं कि एक समय ऐसा आए कि इस देश के अंदर यूनिफार्म सिविल कोड लाया जा सके। वह ऐसा चाहेंगे ही नहीं कि हिन्दू-मुसलमान औरतें अपने आप को औरतें पहले समझें और हिन्दू और मुसलमान बाद में समझें। हम सब का धर्म पहले संविधान हो और बाद में कुछ और हो। ऐसी नीयत ही नहीं है। ऐसी नीयत नहीं है, इसी कारण इस देश के अंदर जो मुश्किलात हैं, वे मुश्किलात हैं। मैं इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ कुरान का 2.28 आयत है, सुरह-अल-बक़रह कि जिसमें फोकियत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया

गया है। फोकियत मतलब the authority of a man on a woman. मुझे लगता है कि इन लोगों ने फोकियत को जरा ज्यादा संजीदगी से ले लिया है। औरत को अपनी प्रापर्टी समझ लिया है। चाहे जैसा उसके साथ बर्ताव करें। लेकिन वही सुरह अगर पूरी तरह से पढ़ा जाए, तो वह बराबरी की भी बात करता है, समानता की भी बात करता है, जिससे ये अपने आपको डिनाय करते रहते हैं। इसी कारण जो लास्ट आपर्टूनिटी 1986 की थी, इस देश के पास, उसको रीइनस्टेट करने का मौका आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमें 2017 में दिया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर औरतों के अधिकार की अगर बात करें, तो समानता का अधिकार ऐसा है कि जितना किसी मर्द को औरत पर है, उतना ही अधिकार उस औरत को अपने मर्द पर है। यही आयत के मायने हैं। आज इस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए जिस संकल्प को दोहराया गया था, आज वही लड़ाई हम लोग इस सदन में लड़ रहे हैं, इस एक्ट के माध्यम से लड़ रहे हैं। दाग़ देहलवी का एक शेर है और मुझे लगता है कि ये शेर उन्होंने शायद ऐसी मज़लूम औरतों को सुनकर-देखकर लिखा होगा –

मेरी आह का तुम असर देख लेना,
वो आएंगे थामे जिगर देख लेना।

लेकिन मैं अपनी बहनों को यह बताना चाहती हूं कि वह आह के असर से आए या न आए, लेकिन हां, क्रिमिनल लॉ की वजह से जरूर आएंगे और दौड़ते चले आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उसका नजरिया क्या होने वाला है। अंत में दो लाइनें पढ़कर मैं अपनी बात को विराम देना चाहती हूं -

रख हौसला मंज़र भी आएगा,
प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा।

मैं ये अपनी सब मुस्लिम बहनों को कहना चाहतीा हूं कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी जिन्होंने प्रधान सेवक के रूप में इतने काम किए, उनके नेतृत्व का लाभ मुसलमान बहनों को भी प्राप्त हो, इसलिए यह कानून लाया गया है। चाहे आशा वर्कस के माध्यम से या चाहे अन्य माध्यम से, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ सही मायने में सच होगा।

(1515/GG/PS)

जब हम फोगाट सिस्टर्स को देखते हैं, जब हम मीनाक्षी अम्मा को देखते हैं, जिनको 72 साल की उम्र में पद्मश्री प्राप्त होता है, जब हम देखते हैं कि कलारीपायट के अंदर वह समाज इतना जागरूक है कि जहां पर महिला अधिकारों की बात होती है, वहां पर मैट्रीलीनियल सोसाइटी है और उस समाज की जो संरचना है, उसे केवल अयप्पा के श्राइन से जोड़ कर देखते हैं, जहां पर उनका रूप जो है, वह एक ब्रह्मचारी का रूप है, अयप्पा वरशिपर्स के लिए मनाही नहीं है, बल्कि केवल एक मंदिर में वे औरतें खुद नहीं जाना चाहती हैं और शायद थरूर साहब के बदले हुए बयान उसी कारण हैं, क्योंकि वे जमीनी सच्चाई को जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

धन्यवाद।

(इति)

1516 hours

SHRI A. ANWHAR RAAJHAA (RAMANATHAPURAM): Thank you, Speaker Madam.

When 'The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017', to criminalise instant triple *talaq*, was passed in the Lok Sabha on 28th December, 2017, I had categorically registered on the floor of the House that our AIADMK Party would not support the Bill in that form and would seek an amendment to this Bill.

Our hon. Chief Minister, Shri Edappadi K. Palaniswami and hon. Deputy Chief Minister, Shri O. Panneerselvam had jointly taken a decision to ask the Central Government to bring an amendment for the omission of the clause providing punishment attracting three years' imprisonment with a fine. But, it is not incorporated in the present Bill.

It is very unfortunate that the Union Government has brought minor changes in this very sensitive Bill and did not incorporate the very important amendments proposed by the AIADMK Party. The views of our Party are totally neglected. We have asked the Government that necessary provision to provide one-time settlement of entitled amount to the married Muslim women, as per Sharia Law,

be made. But, the Bill, in its present form, is against the provisions of Sharia Law. It is a firm belief that the Holy Quran is a blessing of God and Sharia is the right way of life followed by Muslims for more than 1500 years without any change or amendments.

Hon. Minister kindly listen to me. Madam Speaker, when there is no effect of triple *talaq* as per the judgement of the hon. Supreme Court dated 22.08.2017, why is the husband being punished with such a severity? This is an important question. This is unconstitutional and is against human rights and the principles of natural justice. I have strong apprehensions against the Bill in the present form. It may lead to communal disharmony and social disintegration. This Bill is against the constitutional provisions enshrined upon the Muslims and is completely against their personal law. This Bill is unconstitutional and is against national integration and communal harmony.

The proposed Bill, which makes triple *talaq* an offence with imprisonment up to three years, is injustice and barbaric to Muslim husbands, who are accused for talaq-e-biddat. No other religion or any other customary law, in India, has any such provision of offence. Why only Muslim husbands are being targeted by the law? This is a

very important question. I expect a direct and correct answer from the hon. Minister.

(1520/RC/KN)

I would again say that the proposed Bill which makes Triple Talaq an offence with imprisonment up to three years is injustice and barbaric to Muslim husbands who are accused of Talaq-e-biddat. No other religion or any other customary law in India has any such provision of offence. Then why only Muslim husbands are being targeted by the Law? The Law cannot be selective to one religious group.

Madam Speaker, Marriage is a civil contract in Islam. It has been in practice in Muslim community as a civil contract since last 1450 years. It is also a civil contract in Indian Law. Divorce practice exists not only in Muslims but also among Hindus, Christians, Sikhs and all other communities and no where it is considered a criminal offence.

Madam speaker, making the civil offence criminal would work against the women as there will be an increase in the number of abandoned and deserted women. The Bill fails to answer who will take care of the livelihood of women and their children for three

years. The other dependents of the family and aged parents will also suffer. The Bill will destroy homes and families. It will be a direct blow to the institution of marriage. In India, there have been surveys on educational, social and economic conditions of Muslims in the last 50-60 years, but never in any of these reports was the issue of Triple Talaq or divorce mentioned as a cause of backwardness of Muslim community. This is a very important point. I expect an answer on this point from the hon. Minister.

It is important that the Law minister be informed that the cases of divorce are least in the Muslim community and so the Triple Talaq is negligible. In Para 10 of the proposed Bill, it is stated, "This legislation would help in ensuring the larger constitutional goals of gender justice and gender equality of Muslim women and help sub-serve their fundamental rights of non-discrimination and empowerment" whereas, in the name of gender justice the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution are being attacked.

As per Muslim personal law, both husband and wife have the right to terminate the marital contract by Talaq or Khula. Madam, this is another important point. How can the lawmakers punish any party

for termination of a civil contract? This is another important question of mine on which I want a reply from the Minister.

Triple Talaq was set aside by the Supreme Court of India and when the marital relationship is unaffected, where is the need for this Bill? There is no need for this Bill. The Bill breaks marital ties rather than protecting women's rights. A Muslim woman's life will be made more miserable and will only make her begging on the streets and vulnerable to exploitation if her husband is jailed.

More than two crore Muslim women participated in the silent protest and rallies across India against this Bill. It is an irony that the Bill is being forcefully implemented on Muslim community without having proper understanding of the issue. This is an important point. The Bill is against the fundamental rights guaranteed by the Constitution of India.

(1525/NKL/CS)

It is a direct infringement of Muslim Personal Law. Never in History was such a barbaric Bill drafted to harass Muslim men and destroy Muslim families.

Article 25 (1) of the Constitution of India provides Religious freedom for all. Article 26 provides for a person to follow his own religious faith and the personal laws prescribed by his religion.

This amendment, therefore, breaks the very nature of the provisions of the Indian Constitution and destroys the religious fabric of the Nation.

I have no doubt that this Bill is just an eyewash. The Government is turning a blind eye to the very sensitive issues related to the Muslim population. This also proves that the present Government is totally neglecting the sentiments of the Opposition Parties. This Bill is, therefore, undemocratic and unconstitutional.

Therefore, on behalf of our Party, I strongly oppose this Bill and I have no second thought that this Bill in the present form should be deferred. Otherwise, it should be referred to the Parliamentary Standing Committee for correction and incorporating the views of our Party.

Before I conclude, I want to quote something in Tamil. Shrimati Meenakashi Lekhi, the star speaker of BJP has once again proved that she is a very good orator and prosecutor. Madam, she is like my sister. We are together in a Committee for more than four years.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): She is sitting here, beside me.

SHRI A. ANWHAR RAAJHAA (RAMANATHAPURAM): Yes, I know. You both are very brilliant lawyers.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Thank you for your compliment.

*SHRI A. ANWHAR RAAJHAA (RAMANATHAPURAM): In the year 1971, Justice V.R. Krishna Iyer, when he was a Hon. Judge of the Kerala High Court pronounced the judgement on the Yusuf Rawther Vs Sowramma Case. This is the Judgement of Justice V.R Krishna Iyer. I quote: "The view that the Muslim husband enjoys an arbitrary, unilateral power to inflict instant divorce by saying triple talaq does not accord with Islamic injunctions." Justice V.R Krishna Iyer further adds that "indeed, a deeper study of the subject discloses the fact that Islamic law is a surprisingly rational, realistic and modern law of divorce."

* Original in Tamil

In the year 1985 while hearing the Shah Bano Case, when the Hon. Supreme Court of India gave a verdict in favour of alimony creating furore throughout the country. At that time, Hon. Member Shri G M Banatwala, spoke in this august House explaining the Sharia Law and the benefits provided by it to Muslims. The then Prime Minister Shri Rajiv Gandhi was even convinced by the explanations provided by Shri G.M. Banatwala. The then Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivar Dr. M.G.R had a meeting with the then Prime Minister Shri Rajiv Gandhi and urged upon him to withdraw the Bill after explaining to him the importance of Sharia Law. Thereafter the Bill was withdrawn. I wish to quote both the instances in this august House at this point of time. Therefore, divorce cannot take place in a hurried manner or unilaterally in Islam. Even if divorce takes place in such a fashion, there is nothing in Islam that can accept that. After passing through several stages of reconciliation, and if the marital discord exists beyond reconciliation, only when Islam talks about a decision to be taken in this regard. Further I want to add that Sharia Law followed by Muslims are not written by human beings. They were provided by God. Without any amendment, this Law has been followed by Muslims living all over

the world for more than 1450 years. What are the changes that you wish to bring to this Law? During the fasting days of Holy Ramadan, Muslims all over the world, be it in Arabia or Australia or in Jama Masjid, or in Chennai or Ahmedabad, offer prayers or Namaz with a similar posture. Even if you watch it on TV, it will look alike. You can witness Namaz or prayer procedure as one and the same throughout the world. There is not even a small change in the procedure or posture that has been in practice for more than 1500 years. If that is the case what change can you bring in the society by way of this proposed legislation on Triple Talaq? Madam Speaker Please give me a minute. Human beings legislate law for themselves. But it is amended from time to time. Karl Marx proposed an ideology which became obsolete after some time. Lenin too proposed an ideology which was not suitable for all times. Now people are involved in desecration of statues of Lenin. If a law is legislated by human beings, it is subjected to amendments. Even a poet changes his view point later, after saying something on a particular subject at a given point in time.

“Is there a God? Where does He live? I became an Atheist. I could not find Him. I changed myself into a Theist, then again He was not found.”

These are the lines of a poet questioning the very existence of God in this Universe. The same poet writes about the existence of God in another poem.

“There is God, can you see Him? You enjoy listening to Music, do you see any image through that Music? Can you see or visualize the image of truth embedded in every heart?”

The same Poet talks about the existence as well as the non-existence of God, the Almighty. That is why, I say, if a man speaks about something or other, he changes his viewpoints very often. As the Sharia Law is provided by God, it remains unaffected and unchanged. I wish to quote a few lines from the lyrics of a film song by Dr. Puratchi Thalaivar M.G.R. It goes like this. ‘You make mistakes inadvertently. But you commit blunders intentionally. Those who make mistakes should correct themselves. Those who commit blunders should worry for sure’. If you commit this blunder you should be worrying forever. There is no other way to get rid of these things. These things are taking place in your regime. You, as a Government,

lost your hold among the rural masses by implementing demonetization. You lost your hold among the urban masses by way of implementation of GST. You lost the confidence of the people as the value of Indian Rupee against the US Dollar has gone down resulting in steep rise in Petrol and Diesel prices. You faced defeat in the recently held Assembly Elections in Rajasthan, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. “Those who think ill will face misfortune”, is a famous adage. Your defeat in the recently held Assembly Elections is a lesson to be learnt by you. You are not bringing this legislation against the Muslims. You are bringing it against God, the Almighty. So, you cannot escape from the punishment to be given by God. Thank you for this opportunity.

(ends)

(1530/KSP/MY)

1533 hours

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, I rise to speak on the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2018.

Madam, when the Supreme Court gave its judgement that divorce by pronouncing talaq three times is null and void, we took it for granted that this issue would not be reflected upon any further. It was discussed on the floor of the House and it has come back again with some amendments now. What we said at the very beginning was that if this Bill had been sent once more to the Joint Select Committee, the situation could have been different. I say this because all the political parties are extending support to one part of the Bill which deals with rights of women about which you also made some remark from the Chair at the beginning of the discussion.

We are all firm believers in the principles of secularism, communal harmony and unity of the country. So, when any Bill concerning the interest and protection of a significant section of this country comes up, we cannot remain mum.

(1535/SRG/CP)

All political parties have their own stand and they should clarify their own views and versions accordingly. Madam, we are always in favour of protection of women, be it married women or be it unmarried women. Here, in Parliament today, the Bill is moved to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing talaq by their husbands. Madam, there is no doubt that instant talaq is completely viewed as sinful, improper by a large section of the Muslim community itself. A huge sensible Muslim section considers it as a sinful state which is not acceptable at all. I think that this thought is a positive direction, So there cannot be any dispute about the need to protect married Muslim women against such type of practice of divorce. I think this part of the debate is beyond debate. Every person, every political party had extended their support. But divorce by triple talaq is, according to us, threatening the social security and well-being of a society as a whole. Madam, we should not forget to protect the interests of the women to highlight the womanhood as a whole in the country. We are also trying to find out if Parliament could provide for 33 per cent reservation for women in the Lower House and also in the State

Legislative Assemblies. Madam, I would like to draw the attention of the House to the fact that our Party, the Trinamool Congress, has 34 MPs in Lok Sabha, out of which 12 MPs are females, which is 35 per cent, which means more than 33 per cent and this is the view of Mamata Banerjee, the leader of our Party. She is always there to protect the interest of the women; she is in a mood to uplift the interest and to protect the interest of the womanhood of this country. So, we are here to protect the married Muslim women who are really facing difficulties with the pronouncement of triple talaq and the way they are being divorced. So, on this part which has been introduced by the Government, we have nothing to say. Ravi Shankar Ji, for this portion, I think no political party will say a single word or will object to. On the other hand, we strongly oppose the imprisonment up to three years for those husbands for some reasons. One, this is excessive, arbitrary and irrational according to us. We thoroughly oppose this criminalization provision. Madam, I want to clarify to Ravi Shankar Prasad Ji as to why we are saying so and why we are opposing this portion. Ravi Shankar Prasad Ji, suppose, the husbands are going to jail, what will happen to those women regarding their maintenance?

(1540/NK/KKD)

It is because the question of giving maintenance by the husband will be moot if the person is in jail. He will find no scope and opportunity to provide her a financial support. There can be little question of maintenance as the person will not be in a position to earn money. The only women, who could be truly benefited under this law are those, whose husbands have significant estates and incomes. That will permit their husbands to make payment of maintenance even if they are not working. दोनों तरफ का हस्बैंड, एक तरफ के हस्बैंड का कोई इनकम नहीं होता है, वह जेल चला गया, वह कैसे रुपये भेजेगा? एक तरफ उसकी प्रोपर्टी है, उसके एस्टेट्स हैं, उनकी पहली पत्नी के पास एस्टेट्स हैं, इस तरह से सहायता चले जाने का एक चैनल हो सकता है। This is a problem. So, if this provision of imprisonment persists, then the said Bill would lead to injustice and make a woman's life deteriorate further. हम लोग सोचते हैं कि यह इस बिल का पोर्शन भी रहे, then the woman's life would deteriorate further. It will be injustice to the women. The divorced women would suffer and justice would be denied to them.

Madam, we, therefore, propose that this Bill should be referred to a Joint Select Committee. We think that this is not a battle of war

field so far as this Bill is concerned. It has a humanitarian side very broadly.

So, we hope that the Government will rise to the occasion. In brief, our proposals are: one, that we firmly stand behind the rights of the Muslim women; and, second, we are totally against the provision of criminalisation.

Considering all these sides, I think that the hon. Minister will adopt such a Bill, which will satisfy each one of us.

Thank you very much.

(ends)

1542 बजे

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी) : माननीय अध्यक्ष जी, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। कभी-कभी लम्हों की खता सदियों की सजा बन जाती है। लगभग तीन दशक पहले इसी सदन में शाह बानो केस के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कानून बनाया था। आज मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और लॉ मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद जी को बधाई देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए वे कानून लेकर आए हैं।

महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण घटना और जानकारी से बात शुरू करूंगा। I shall communicate to the House a very interesting reaction of one of the poor Muslim families. I met one of the Muslim parents. One man in Bihar told me: "I have got six daughters. One is married. God forbid, she does not get Talaq. But if she is divorced, she would come back to me. I am already finding it difficult to maintain these five daughters. They are yet to get married. If my married daughter, after Talaq, comes back to me; please tell me, how will I be able to look after her? Even with the best desire, I am prepared to die so that my daughter can be protected."

Madam, he told me, with tears in his eyes: “Even if I shed my blood, I will not be able to protect my daughter because I am living in such a manner that I am not able to make both ends meet. So, it will be difficult for me to maintain her.

(1545/MK/RP)

“According to the law that you are formulating, she will go to the Waqf Board. My friend happens to be a Muslim. She knows the status of the Waqf Board. What will happen to such a woman will be known.”

Lastly, I may quote a very interesting story which is full of ethos; you can check it with the Prime Minister. The Muslim women went to the hon. Prime Minister with tears in their eyes. One Muslim girl said: “Mr. Prime Minister, for the third time I have been offered Talaq and if you are talking in terms of going into the 21st Century, why do you have to throw ladies like us back to the Sixth Century? Do not send us to the tender mercy of these people.” ये एक बहुत बड़े समाजवादी चिंतक थे। 5 मई, 1986 को श्री मधु दंडवते जी ने इसी सदन के अंदर कहा था। मैंने जो बात कही कि ‘लम्हों की खता सदियों की सजा बनती है’, उस समय इस सदन में इस विषय पर बहुत ही गंभीरता के साथ चर्चा हुई थी और न केवल श्री मधु दंडवते जी ने बल्कि उस समय के बहुत-से माननीय सदस्यों ने इस सामाजिक कुरीति और बुराई

के खात्मे के लिए सरकार से मांग की थी। लेकिन, अनफॉरचुनेटली कुछ कठमुल्लाओं के दबाव में उस समय की सरकार, कुछ फेनेटिक फोर्सेस के दबाव में …(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): कठमुल्ला मतलब क्या है?

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: कठमुल्ला मतलब फेनेटिक्स।…(व्यवधान) आप नहीं समझ पाएंगे। …(व्यवधान) आप फिर से सुन लीजिए I am repeating it. कुछ कठमुल्लाओं के दबाव में उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए कानून बनाया। अभी एक बात चल रही थी कि यह जो कानून बन रहा है, इस कानून के बनने के बाद उन मर्दों का क्या होगा, उन गुनहगारों का क्या होगा?

SHRI IDRIS ALI (BASIRHAT): What do you mean by *kathmulla*?…(*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): What is *kathmulla*?…(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will see to it.

… (*Interruptions*)

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: कठमुल्ला मतलब फेनेटिक्स। …(व्यवधान) दादा हमारा हाथ अंग्रेजी में थोड़ा तंग है और हिन्दी में ठीक है। यह उर्दू शब्द है। …(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, अभी यह बात हो रही थी कि जो स्टेकहोल्डर्स हैं, क्या उनसे बात की गयी, क्या उनसे राय ली गयी? अभी रिसेंटली निर्भया का केस हुआ था। निर्भया केस के समय एक कड़े-से-कड़े कानून के तहत कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसे जघन्य

अपराध करने वालों के खिलाफ कानून बनना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, यह दोनों सदनों में एक स्वर से आवाज उठी थी। इस कानून से प्रभावित कौन लोग हैं? गुनहगार जो इस तरह के गुनाहों को करने के बाद सीना तान कर घूमते थे। उस समय भी कुछ लोग यह बात कह सकते थे कि आपने स्टेक होल्डर्स से क्यों नहीं बात की, आप क्यों इतना कड़ा कानून बना रहे हैं? उस वक्त भी एक स्वर से, एक आवाज से दोनों सदनों ने इस जघन्य अपराध के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया था इसके लिए मैं दोनों सदनों को नतमस्तक होकर सलाम करता हूं, वे ताकत, वे लोग एवं गुनहगार, जो जघन्य अपराध करते थे और घूमते रहते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हुई।

अध्यक्ष महोदया, जब इस सदन में 15 मई, 1986 को शाहबानो केस के बाद चर्चा हुई, बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई, बहुत ही रचनात्मक चर्चा हुई। उस समय सदन में तमाम काबिल माननीय सदस्य थे।

(1550/RPS/RCP)

जिन्होंने उस वक्त भी जोर दिया था कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए, जिससे मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक-संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जैसा मैंने पहले कहा, कुछ लोगों के दबाव में वह कानून नहीं बनने दिया गया। उन लम्हों की खता की सजा सदियों इस देश ने भुगती है, खास तौर से उन मुस्लिम महिलाओं ने जो आज भी पीड़ित हैं। तमाम इस्लामिक देश हैं, जिनके बारे में अभी बताया गया है, मैं इस्लाम का कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यह मुद्दा इस्लाम से या धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। यह शुद्ध रूप से सामाजिक कुरीति और कुप्रथा से जुड़ा

हुआ है। जिस वक्त सती प्रथा के खात्मे की बात हुई थी, पूरा देश चाहता था कि सती प्रथा खत्म होनी चाहिए और सती प्रथा को खत्म करने के लिए एक मुहिम चली, उस वक्त भी कुछ लोगों ने कहा था कि सती प्रथा एक धर्म का हिस्सा है, उसे कैसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन वह प्रथा खत्म हुई। बाल विवाह के बारे में भी जब यह आवाज उठी कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक कुप्रथा और कुरीति है, उस वक्त देश ने एकजुट होकर बाल विवाह की प्रथा को खत्म किया। उस वक्त भी कुछ लोगों ने यह आवाज उठाई कि यह मजहब से जुड़ा है, यह धर्म से जुड़ा है, इसमें आप कैसे दखलंदाजी कर सकते हैं, इसमें कैसे आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन वह प्रथा खत्म हुई। उसे इस देश की हमारी व्यवस्था ने ही खत्म किया, हमारे देश के लोगों ने खत्म किया, हमारे देश की मजबूत इच्छाशक्ति की वजह से वह खत्म हुआ। आज कौन सी ऐसी समस्या आ गई है, जिसकी वजह से हम इसकी मुखालफ़त कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मैं अभी सुन रहा था, हमारे बहुत से माननीय सदस्य बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वे मजलूम के साथ नहीं, मुजरिम के साथ हैं। उनको चिन्ता हो रही थी कि जो जुर्म कर लेगा, जो इस तरह का अपराध कर लेगा, उसको आप जेल क्यों भेज देंगे, उसे तीन साल की सजा क्यों देंगे, उसे बेलेबल ऑफेंस क्यों बना देंगे, उसे नॉन-बेलेबल क्यों कर देंगे, इन सारी चीजों के बारे में टेक्नीकल चर्चा हो रही थी, उसके बारे में रविशंकर जी बताएंगे। …(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): यह हकीकत है। …(व्यवधान)

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: खड़गे साहब कह रहे हैं कि यह हकीकत है।…(व्यवधान) आप कत्ल करेंगे और कहेंगे कि हमने कत्ल कर दिया तो तुम उम्र कैद की सजा क्यों

दोगे? आप बलात्कार करेंगे और उसके खिलाफ जो कानून बने हुए हैं, आप कहेंगे कि उनके तहत सजा क्यों देंगे? आप डकैती डालेंगे, आप आतंकवाद करेंगे, आप चोरी करेंगे और उस पर कहेंगे कि उसके बारे में जो कानून बना है, वह बहुत सख्त है। अगर इसका पति जेल चला जाएगा तो वह पत्नी क्या करेगी? अरे भई, आप ऐसा जुर्म करो ही क्यों, जिससे आपको जेल जाना पड़े? …(व्यवधान) I am not yielding. …(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम, जो इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, उधर से बहुत तालियां भी बज रही हैं। …(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या हिन्दू धर्म में ऐसा है कि किसी हस्बैंड को तीन साल जेल भेजा जाए? क्या क्रिश्चियन धर्म में ऐसा कुछ है? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उसमें इस प्रकार की प्रथा ही नहीं है।

…(व्यवधान)

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: खड़गे साहब, क्या वहां ट्रिपल तलाक है?…(व्यवधान) यहां बात ट्रिपल तलाक की है। हिन्दू धर्म में कौन सा ट्रिपल तलाक है? आप कौन सा हिन्दू धर्म लेकर बैठे हुए हैं? …(व्यवधान) खड़गे साहब बताएं।…(व्यवधान) यह कौन सा हिन्दू धर्म पैदा हो गया, सेक्युलर हिन्दू धर्म, जिसमें ट्रिपल तलाक पैदा हो गया है? …(व्यवधान) उसमें ट्रिपल तलाक नहीं है। …(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): आप मेरी बात सुनिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वहां ऐसी कोई प्रथा नहीं है। आप बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: अध्यक्ष महोदया, जो लोग इसे धर्म से जोड़ रहे हैं, इस्लाम से जोड़ रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, वैसे बहुत बार इस हाउस में इस पर चर्चा हो चुकी है।...(व्यवधान) वे तमाम इस्लामिक देश, जो इस्लामिक मूल्यों और मान्यताओं को मानते हैं, उन्होंने दशकों पहले इस तीन तलाक कुप्रथा को, इस कुरीति को खत्म कर दिया है। ...(व्यवधान) वर्ष 1929 में सूडान में तीन तलाक को अपराध घोषित किया गया।...(व्यवधान) वर्ष 1956 में, आज़ादी के फौरन बाद पाकिस्तान ने तीन तलाक को गैर-कानूनी और अपराध घोषित किया।...(व्यवधान)

(1555/RAJ/SMN)

बांग्लादेश ने वर्ष 1972 में इसको गैरकानूनी घोषित किया। इराक ने वर्ष 1959 में तीन तलाक को खत्म किया। सीरिया ने वर्ष 1953 में तीन तलाक को खत्म किया। मलेशिया ने वर्ष 1969 में इस पर रोक लगाई। इनके अलावा, साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर, यूएई जैसे इस्लामिक देशों ने तीन तलाक को गैरकानूनी ही नहीं बल्कि अपराध घोषित किया। ...(व्यवधान) क्या वे इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं या आपका सेक्यूलरिज्म का कौन-सा नया फंडा पैदा हो गया है कि आप कहेंगे कि हम हिन्दुओं में क्यों नहीं हैं? हिन्दुओं में तीन तलाक नहीं है। ...(व्यवधान) खड़गे जी आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। अगर आप तर्क दें तो कुतर्कों से जुड़ा हुआ तर्क नहीं दीजिए। ...(व्यवधान)

मैं एक पॉजिटिव बात कहना चाहता हूं। अभी भी कांग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं पॉजिटिव बात करना चाहता हूं कि जिस समय यह सरकार ने तीन तलाक बिल को लोक सभा में लाई, राज्य सभा में लाई, पिछली

बार लोक सभा में इस बिल को पास करने में कांग्रेस पार्टी ने मदद की थी। लोक सभा से राज्य सभा के सौ कदम के फासले में इनके पैर कैसे लड़खड़ा गए, यह हम नहीं जानते हैं।

अध्यक्ष महोदया, एक पॉजिटिव चीज यह है कि एक पॉजिटिव डिसकशन हुआ है। उलेमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसको बहुत पॉजिटिव ले रहा है। उसने भी यह कहा है कि तीन तलाक एक अपराध है, इसको खत्म होना चाहिए। तमाम उलेमाओं ने कहा है कि तीन तलाक अपराध है लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। उसके बाद रवि शंकर जी बता रहे थे कि यह कल भी हुआ, परसों भी हुआ, आज भी हुआ, लगातार चल रहा है। उसके लिए कुछ कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी या नहीं, उसके लिए तर्क दिया जा रहा है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है, गैरकानूनी घोषित कर दिया है तो कानून बनाने की क्या जरूरत है? क्या कत्ल कानूनी है, क्या आतंकवाद कानूनी है, संवैधानिक है, या जितने भी अपराध हैं, क्या रेप कानूनी है, ये सभी गैरकानूनी और असंवैधानिक हैं, लेकिन इनके लिए कानून है। खड़गे साहब, अगर उनके लिए कानून है तो इस जघन्य अपराध के लिए कानून बनना चाहिए और किसी को विक्टिमाइज करने के लिए यह कानून नहीं है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए यह कानून है। उनकी संवैधानिक सुरक्षा के लिए यह कानून है। यह किसी को विक्टिमाइज करने के लिए नहीं है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। हमारी यह सीधी मकसद और मंशा है। अगर उनको यह लगता है कि इस मकसद और मंशा पर

सवालिया निशान है तो मुझे लगता है कि जो लोग आपको फीड बैक दे रहे हैं। …(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Shrimati Maneka Ji is sitting in the House. She had filed a case. हमारे काबिल मंत्री श्री रवि शंकर जी को याद होगा। 'Due process of law', इसकी व्याख्या इनके केस में हुई है। It is a very widely referred case about 'due process of law', हमारे काबिल अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, श्री मुख्तार 'due process of law', के बारे में कुछ बताएं। यह जो हो रहा है, जो प्रस्ताव इस बिल के अंदर आया है, whether it tackles the due process of law or not, that needs to be explained and that has been very vividly pronounced in Maneka Gandhi's case. The Supreme Court has pronounced. A Constitutional Bench of seven judges had pronounced about 'due process of law'.

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी उसका जवाब देंगे।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : महताब जी ने जो कहा है, 'due process of law' के बारे में हमारे मंत्री जी बताएंगे।

अध्यक्ष महोदया, मैं दो-तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।…(व्यवधान)